संख्या–828 / XXIV/(1)2013-45/2008 T.C.I

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1582 09/08/13

सेवा में,

1–निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

2–राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा (बेसिक) अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक, 01 अगस्त, 2013**

विषयः–शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19(1) के प्राविधानुसार अनुसूची में उल्लिखित विद्यालयों हेतु न्यूनतम कार्यदिवस एवं अध्यापकों के लिये प्रति सप्ताह कार्यकारी घण्टों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–631 / XXIV(1)/2013-45/2008 T.C.I /2008 दिनांक 20–06–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19(1) के प्राविधानुसार अनुसूची में उल्लिखित विद्यालयों हेतु न्यूनतम कार्यदिवस एवं अध्यापकों के लिये प्रति सप्ताह कार्यकारी घण्टों के निर्धारण हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में उल्लिखित कार्यो के अतिरिक्त गणित / अंग्रेजी / विज्ञान विषयों हेतु उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिससे इन विषयों में कमजोर छात्र / छात्राओं के अपेक्षित अधिगम स्तर में सुधार हो सके।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1) / XXIV(1)/2013–45 / 2008 / T.C.-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड , विधान भवन, देहरादून को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक, प्रा0शि0 के माध्यम से)।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड(निदेशक, प्रा0शि0 के माध्यम से)।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

Ex.RTE 03.08.13